BIADA
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार
प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004
Website-www.biadabihar.in , Email- biada-bih@gov.in Phone/Fax: 0612-2675352/2675296/2675002/2675889

कार्यालय आदेश

सर्वश्री आर्या मिनी राईस मिल को औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में कार्यालय पत्रांक 7851/डी दिनांक 10.12.10 द्वारा भूखण्ड संख्या A-6(P) रकवा 7000 वर्गफीट भूमि का आवंटन राईस मिल के उद्योग स्थापित करने हेतु किया गया। भूमि का स्वामित्व दिनांक 06.06.11 को दिया गया। आवंटित भूमि पर उद्योग स्थापित नही करने के कारण इकाई का भू–आवंटन कार्यालय आदेश ज्ञापांक 3025 दिनांक 07.06.14 को रद्द कर दिया गया। इकाई द्वारा रद्दीकरण आदेश ज्ञापाक 3025 दिनांक 07.06.14 के विरूद्ध माननीय अपीलीय न्यायालय में वाद दायर किया गया।

अपीलवाद संख्या–39/2014 मेसर्स आर्या मिनी राईस मिल, भोजपुर बनाम बियाडा में विद्वान अपीलीय न्यायालय–सह–प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा पारित आदेश के आलोक में उद्यमी द्वारा बकाया राशि 91,625/–रू० एवं दो लाख रूपये का बैंक गारंटी जमा किया गया फलस्वरूप इकाई का आवंटन ज्ञापांक 49/L दिनांक 02.01.19 से पुर्नबहाल किया गया। पारित आदेश की कंडिका V में इकाई के ऊपर से 11000 KV का तार गुजरने के कारण परियोजना परिवर्तन हेतु कहा गया। आदेश के आलोक में उद्यमी द्वारा Manufacturing of Non Woven Bags का परियोजना प्रतिवेदन समर्पित करते हुये इकाई का परियोजना परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है। इकाई को पत्रांक 1132/डी दिनांक 18.02.19 से Manufacturing of Non Woven Bags औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है से संबंधित पत्र प्रेषित किया गया। उद्यमी द्वारा Agriculture & Enviroment Cleaning Equipments का परियोजना प्रतिवेदन समर्पित करते हुये पुनः परियोजना परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है। परियोजना परिवर्त्तन की सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 28.03.2019 को दी गई। इकाई को नाम एवं परियोजना परिवर्त्तन शुल्क जमा करने हेतु पत्रांक 2544/डी दिनांक 30.03.19 एवं पत्रांक 3409/डी दिनांक 23.05.19 से पत्र दिया गया। इकाई द्वारा अद्यतन शुल्क की राशि जमा नहीं की गई है। उद्यमी द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त परियोजना हेतु देना बैंक, बक्सर में PMEGP लोन 2,50,000/–रू० के लिए आवेदन दिया गया है। बैंक प्रबंधक द्वारा बताया गया है कि देना बैंक का Collaboration बैंक ऑफ इंडिया के साथ हो गया है इसलिए थोड़ा समय लगेगा।

उद्यमी द्वारा उक्त परियोजना पर कार्य करने हेतु पॉच माह का समय देने का अनुरोध किया गया है। जिस पर इकाई को पत्रांक 5523/डी दिनांक 12.09.19 से नोटिस दिया गया। नोटिस का जबाव अद्यतन अप्राप्त है। क्षेत्रीय प्रभारी, बिहिया के निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार आवंटित भूमि पर आधा–अधूरा चहारदिवारी का निर्माण किया हुआ है एवं भूमि पूरी तरह रिक्त है। भूमि पर किसी प्रकार की कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं पाया गया एवं वर्त्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी आवंटित भूखण्ड पर कोई कार्य नहीं किया गया है। यह पुर्नबहाल आदेश ज्ञापांक 49/L दिनांक 02.01.19 का उल्लंघन है।

अतः इकाई के उपरोक्त स्थिति से ज्ञात होता है कि उद्यमी अब उद्योग चलाने के इच्छुक नहीं है। इस प्रकार अपीलवाद संख्या–39/2014 में पारित आदेश दिनांक 05.12.18 एवं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, अधिनियम 1974, बियाडा (संशोधन) अधिनियम 1991 की धारा 6(2)(a), बियाडा संशोधन अधिनियम 2017 तथा अन्य सुसंगत नियमों/प्रावधानों के तहत सर्वश्री आर्या मिनी राईस मिल को औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में आवंटित भूखण्ड संख्या A-6(P) रकवा 7000 वर्गफीट भूमि के मद में जमा राशि जब्त करते हुये पूर्व में निर्गत भूमि रद्दीकरण आदेश ज्ञापांक 3025 दिनांक 07.06.14 को पुर्नबहाल किया जाता है। सर्वश्री आर्या मिनी राईस मिल के रद्दीकरण आदेश पुर्नबहाल के पश्चात् उक्त भूमि पर भविष्य में उद्यमी का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

प्रबंध निदेशक के आदेश
दिनाक 07.03.2020
ह०/–
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञापांक 1397/D
दिनांक 19/05/2020

प्रतिलिपिः– सर्वश्री आर्या मिनी राईस मिल, श्री उदय कुमार, पिता–श्री शिवानन्द प्रसाद, सुमित्रा महिला कॉलेज के नजदीक, डुमरॉव, जिला–बक्सर–802133/ लेखा शाखा, बियाडा, पटना/ ~~आई० टी०~~ पदाधिकारी, बियाडा, पटना/ अमीन, बियाडा, पटना/ क्षेत्रीय प्रभारी, औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया/ प्रभारी, प्र० नि० कोषांग, बियाडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.05.20

कार्यकारी निदेशक।